न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2022-404RAAJodhpur2022-150RTA223 Suresh ors Vs Smt. Rukadi etc

01. सुरेश पुत्र चैनाराम
02. दिनेश पुत्र चैनाराम
    दोनो जातियान् विश्नोई, निवासीगण- 43/337 ओंमनगर डी राजस्थान अस्पताल के पीछे बनाड़ रोड़ जोधपुर।
03. विमला उर्फ पुजा पुत्री चैनाराम पत्नी अशोक जाति विश्नोई, निवासी- नान्दड़ा कलां तहसील व जिला जोधपुर।
04. सुमन पुत्री चैनाराम पत्नी सुभाष जाति विश्नोई, निवासी- फिटकासनी, तहसील व जिला जोधपुर।
05. श्रीमती कमलादेवी पत्नी चैनाराम जाति विश्नोई निवासी- 43/337 ओमनगर डी राजस्थान अस्पताल के पीछे बनाड़ रोड़ जोधपुर।
06. लिछमणराम पुत्र स्व. रामुराम
07. श्रीमती मांगूड़ी पत्नी डूंगरराम
    दोनो जातियान् विश्नोई विश्नोई, निवासीगण- विष्णु की ढाणी तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. श्रीमती रूकड़ी देवी पुत्री स्व. रामुराम पत्नी पोकरराम जाति विश्नोई, निवासी- फिटकासनी, तहसील व जिला जोधपुर।
2. हनुमानराम पुत्र स्व. रामुराम जाति विश्नोई, निवासी- विष्णु की ढाणी, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर।
3. सोमराज पुत्र डूंगरराम जाति विश्नोई, निवासी- विष्णु की ढाणी, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर, हाल मुकाम सैन्ट्रल जेल राजसमंद जिला राजसमंद।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा।

रेस्पो. ...

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16 अगस्त 2022 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा राजस्व मूल वाद संख्या 12/2022 श्रीमती रुकड़ी देवी बनाम हनुमानराम इत्यादि

उपस्थित-

श्री गणपतलाल चौधरी, अधिवक्ता-अपीलाण्ड्स
श्री रोशन लाल, श्री भीखाराम विश्नोई अधिवक्ता- रेस्पो. संख्या 1 व 2
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 4

निर्णय

दिनांक : 30 दिसंबर 2022

अपीलाण्ड्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 12/2022 श्रीमती रुकड़ी देवी बनाम हनुमानराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16 अगस्त 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 08 सितंबर 2022 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 102/3 रकबा 0.1375 हैक्टेयर, खसरा नं. 150/4 रकबा 0.1294 हैक्टेयर, खसरा नं. 74/4 रकबा 0.0647 हैक्टेयर, खसरा नं. 102 रकबा 0.8090 हैक्टेयर, खसरा नं. 149 रकबा 0.2184 हैक्टेयर, खसरा नं. 150/1 रकबा 0.9304 हैक्टेयर, खसरा नं. 74/1 रकबा 0.5259 हैक्टेयर, खसरा नं. 99 रकबा 0.8090 हैक्टेयर, खसरा नं. 150/3 रकबा 1.1488 हैक्टेयर, खसरा नं. 74/2 रकबा 0.5259 हैक्टेयर, खसरा नं. 99/2 रकबा 1.6180 हैक्टेयर ग्राम विष्णु की ढाणी तहसील बिलाड़ा को अपनी पुश्तैनी होना बताते हुए अपीलांट्स एवं अन्य

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रतिवादीगण के विरुद्ध विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16 अगस्त 2022 को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये वादी/रेस्पो. संख्या एक का वाद स्वीकार कर लिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी तथ्यात्मक एवं विधिक भूल की है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना केवल रेस्पोडेंट संख्या एक के जुबानी कथन के आधार पर उसे विवादग्रस्त भूमि के 1/5 हिस्से का खातेदार घोषित करने में भारी विधिक भूल की है। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी व्यक्ति को प्रभावित करने वाला कोई आदेश पारित करने से पहले उस व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है। अतः अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विपरीत होने से केवल इसी आधार पर खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्मन की तामील के लिए आदेश 5 नियम 12 एवं आदेश 5 नियम 15 सीपीसी में दी गई प्रक्रिया की अनदेखी कर प्रतिवादी संख्या 3, 6 व 7 के सम्मन तामील दो मौतबिरान द्वारा की गई मानकर सही मानने में भारी भूल की गई है, प्रतिवादी संख्या 3, 6 ओमनगर राजस्थान हॉस्पीटल बनाड़ रोड़ जोधपुर में स्थायी तौर पर निवास करते है। प्रतिवादी संख्या 3 व 6 उस दिन घर पर नहीं मिले, फिर भी तामील सही मानने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भारी भूल की गई है। इसी तरह प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के सम्मन की तामील भी दो मौतबिरान द्वारा की गई मानकर तामील सही मानने में भूल की गई है। प्रतिवादी संख्या 4 अपने ससुराल फिटकासनी तथा प्रतिवादी संख्या 5

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपने ससुराल नांदड़ा कलां में अपने पति के साथ निवास करती है। प्रतिवादी संख्या 8 करीब 3 वर्षो से राजसमंद जेल में सजा काट रहा है, जिसकी भी गलत तामील मानी गई है। रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा तामील कुनिन्दा से सॉठ-गॉठ कर प्रतिवादीगण की तामील करवायी गई है। तामील के दौरान उपस्थित दोनो मौतबिरान वादीनी रूकड़ी देवी के पुत्र श्यामलाल के साले लगत है। इससे साफ जाहिर होता है कि प्रतिवादीगण के सम्मनों पर घर पर नहीं मिले, आबाद मकान पर चस्पा किये जाने की फर्जी रिपोर्ट लिखवाई गई है एवं न्यायालय के साथ धोखा कर एकतरफा निर्णय करवाया गया है तथा सम्मनों पर तारीख पेशीयों में भी कांट-छांट की गई है। अपीलांट्स वादग्रस्त भूमि के रेकर्डेड खातेदार है, उनको सुनवाई का अवसर दिये बिना, बिना किसी साक्ष्य के अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये वादीनी को वादग्रस्त भूमि में सहखातेदार घोषित किया गया है जो विधि विरूद्ध है। अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 12/2022 श्रीमती रूकड़ी देवी बनाम हनुमानराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16 अगस्त 2022 को निरस्त किये जाने आदेश फरमावें तथा हस्तगत प्रकरण में अपीलांट्स को जवाब दावा पेश करने तथा सुनवाई का अवसर देकर निर्णय पारित करने हेतु प्रतिपेषित किया जावे। वकील अपीलांट्स ने अपनी बहस के समर्थन में आर.आर.डी 1999 पेज 158, आर.आर.टी. 2010(2) पेज 1239, आर.आर.टी. 2018(1) पेज 619 की न्यायिक नजीरे पेश की।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक व दो ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री का समर्थन करते हुए कथन किया वादग्रस्त भूमि रेस्पोडेंट संख्या एक की पैतृक भूमि है, जिसमें वादीनी का 1/5 हिस्सा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

निहित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सम्मन दो मौतबिरान् की उपस्थिति में आबाद मकान पर चस्पानगी की रिपोर्ट के साथ बाद तामील प्राप्त हुए थे। प्रतिवादी सोमराज का सम्मन उसकी मॉ द्वारा लेने से इंकार की रिपोर्ट के साथ प्राप्त हुआ था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध अभिलेख के आधार पर विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित की है। अपीलांट्स यदि एकपक्षीय अपीलाधीन निर्णय एव डिक्री से प्रभावित है तो विचारण न्यायालय के समक्ष आदेश 9 नियम 13 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सुनवाई का अवसर प्राप्त कर सकते थे, किंतु उनके द्वारा उक्त कार्यवाही नही की जाकर सीधे ही अपील प्रस्तुत की गई है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

राजकीय अधिवक्ता प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में न्यायोचित आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक नजीरो का ससम्मान परिशीलन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक वादीनी द्वारा वादग्रस्त भूमि को अपनी पुश्तैनी भूमि होना बताते हुए उसमें 1/5 हिस्से बाबत खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत दावा प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा दावा दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण को भेजे गये सम्मनो की प्राप्ति रिपोर्ट के अवलोकन मुताबिक उक्त सम्मन ग्राम विष्णु की ढाणी तहसील बिलाड़ा के पत्ते पर भिजवयो गये जो **आसामी घर पर नहीं मिलने तथा नोटिस की एक फर्द आबाद मकान पर चस्पानगी** के साथ विचारण न्यायालय को प्राप्त हुए है। प्रतिवादी/अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील में अपना रहवास दावे में लिखे गये पत्ते से भिन्न सीनो पर होना बताया है। विचारण न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के विपरीत अपीलांट्स के वर्तमान पत्ते पर सम्यक रूप से तामील करवाये जाने के बजाय ग्राम विष्णु की ढाणी तहसील बिलाड़ा सम्मन भिजवाये गये तथा उक्त प्राप्ति रिपोर्ट के आधार पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में जायी जाकर एकपक्षीय अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया जाना पाया जाता है। प्रस्तुत न्यायिक नजीरो के तथ्य पक्षकारान् पर सम्यक तामीली से संबंधित होने से हस्तगत प्रकरण में लागू होते है। इन परिस्थितियों में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विपरीत पारित किये जाने से अदालत हाजा की राय मे समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16 अगस्त 2022 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मामले में अपीलांट्स को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30-12-2022

मंगलाराम पूनिया
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर